



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258131
CG-DL-E-22102024-258131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946

No. 182]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2024

आ.अ. 193(अ).—1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहाँ निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र एपिक जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया था; तथा

6. यतः, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों, और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में लगभग 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. अतः अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा, निदेश देता है कि-

- 18.10.2024 & 22.10.2024 को अधिसूचित की जाने वाली झारखंड विधान सभा, और
- 22.10.2024 को अधिसूचित की जाने वाली महाराष्ट्र विधान सभा के चालू साधारण एवं उप निर्वाचनों (संग्रह-1 के अनुसार) के लिए, और
- 18.10.2024 को अधिसूचित किए जाने वाले 47 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं केरल में 04-वयनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए और
- 22.10.2024 को अधिसूचित किए जाने वाले 07-केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 16-नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए

सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान केन्द्रों पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

- i. आधार कार्ड,
- ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
- iii. बैंको/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक,
- iv. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- v. ड्राइविंग लाइसेंस,
- vi. पैन कार्ड,
- vii. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड,
- viii. भारतीय पासपोर्ट;
- ix. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- x. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
- xi. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और
- xii. यूनिफ डिस्पेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

8. एपिक के संबंध में, लेखन-अशुद्धियां, वर्तनी की अशुद्धियां इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश करता है, जो

कि किसी अन्य विधान सभा सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैं, तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उपर्युक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने भारतीय पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

[सं. 3/4/आईडी/2024/एसडीआर/खण्ड-I]

आदेश से,

एस.बी. जोशी, प्रधान सचिव

अनुलग्नक-I

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	असम	11-धोलाई(अ.जा.)वि.स.नि.क्षे.
2.		31-सिङली(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
3.		32-बोंगईगांव वि.स.नि.क्षे.
4.		77-बेहाली वि.स.नि.क्षे.
5.		88-सामगुडी वि.स.नि.क्षे.
6.	बिहार	196-तरारी वि.स.नि.क्षे.
7.		203-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
8.		227-इमामगंज(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
9.		232-बेलागंज वि.स.नि.क्षे.
10.	छत्तीसगढ़	51-रायपुर नगर दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
11.	गुजरात	7-वाव वि.स.नि.क्षे.
12.	कर्नाटक	83-सिग्गाओं वि.स.नि.क्षे.
13.		95-सन्दुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
14.		185-चन्नापटना वि.स.नि.क्षे.
15.	केरल	56-पालाक्काड वि.स.नि.क्षे.
16.		61-चेलाक्करा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
17.		4-वायनाड सं.नि.क्षे.
18.	मध्य प्रदेश	156-बुधनी वि.स.नि.क्षे.
19.		02-विजयपुर वि.स.नि.क्षे.
20.	महाराष्ट्र	16-नांदेड सं.नि.क्षे.

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
21.	मेघालय	56-गम्बेगरे(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
22.	पंजाब	10-डेरा बाबा नानक वि.स.नि.क्षे.
23.		44-चब्बेवाल(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
24.		84-गिड्डवाहा वि.स.नि.क्षे.
25.		103-बरनाला वि.स.नि.क्षे.
26.	राजस्थान	27-झुन्झुनू वि.स.नि.क्षे.
27.		67-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
28.		88-दौसा वि.स.नि.क्षे.
29.		97-देवली-उनियारा वि.स.नि.क्षे.
30.		110-खींवसर वि.स.नि.क्षे.
31.		156-सलूमबर(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
32.		161-चोरासी(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
33.	सिक्किम	07-सोरेंग-चाकुंग वि.स.नि.क्षे.
34.		11-नामची-सिंघीथांग वि.स.नि.क्षे.
35.	उत्तर प्रदेश	16-मीरापुर वि.स.नि.क्षे.
36.		29-कुन्दरकी वि.स.नि.क्षे.
37.		56-गाजियाबाद वि.स.नि.क्षे.
38.		71-खैर(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
39.		110-करहल वि.स.नि.क्षे.
40.		213-सीसामऊ वि.स.नि.क्षे.
41.		256-फूलपुर वि.स.नि.क्षे.
42.		277-कटेहरी वि.स.नि.क्षे.
43.		397-मझवां वि.स.नि.क्षे.
44.	उत्तराखण्ड	07-केदारनाथ वि.स.नि.क्षे.
45.	पश्चिम बंगाल	06-सिताई(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
46.		14-मदारीहाट(अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
47.		104-नईहटी वि.स.नि.क्षे.
48.		121-हरोआ वि.स.नि.क्षे.
49.		236-मेदीनिपुर वि.स.नि.क्षे.
50.		251-तालदनगरा वि.स.नि.क्षे.

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 17th, October 2024

O. N. 193(E).—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing personation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing personation of electors and facilitating their identification at the time of poll, issue of Electors' Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors' Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors' Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors' Photo Identity Card have been issued to approximately 100% electors in the States of Jharkhand, Maharashtra, and the constituencies going for bye elections in the State of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the current general and bye elections (as per Annexure-1) to-

- the Legislative Assembly of Jharkhand, to be notified on 18.10.2024 & 22.10.2024, and

- the Legislative Assembly of Maharashtra, to be notified on 22.10.2024, and

bye elections (as per Annexure-1) to

-47 Assembly Constituencies & 04-Wayanad Parliamentary Constituency in Kerala, to be notified on 18.10.2024 and

-07-Kedarnath Assembly Constituency in Uttarakhand & 16-Nanded Parliamentary Constituency in Maharashtra to be notified on 22.10.2024

all electors who have been issued EPIC are expected to produce the EPIC for their identification at the polling stations before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

- (i) Aadhaar Card,
- (ii) MNREGA Job Card,
- (iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
- (iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
- (v) Driving License,
- (vi) PAN Card,
- (vii) Smart Card issued by RGI under NPR,
- (viii) Indian Passport,
- (ix) Pension document with photograph,
- (x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies,

- (xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and
 (xii) Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided that the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) at the polling station.

[No.3/4/ID/2024/SDR/VOL.1]

By Order,

S.B.JOSHI, Principal Secy.

Annexure-1

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No. & Name
1.	Assam	11-Dholai(SC) AC
2.		31-Sidli(ST) AC
3.		32-Bongaigaon AC
4.		77-Behali AC
5.		88-Samaguri AC
6.	Bihar	196-Tarari AC
7.		203-Ramgarh AC
8.		227-Imamganj(SC) AC
9.		232-Belaganj AC
10.	Chhattisgarh	51-Raipur City South AC
11.	Gujarat	7-Vav AC
12.	Karnataka	83-Shiggaon AC
13.		95-Sandur(ST) AC
14.		185-Channapatna AC
15.	Kerala	56-Palakkad AC
16.		61-Chelakkara(SC) AC
17.		4-Wayanad PC
18.	Madhya Pradesh	156-Budhni AC
19.		02-Vijaypur AC
20.	Maharashtra	16-Nanded PC
21.	Meghalaya	56-Gambegre(ST) AC
22.	Punjab	10-Dera Baba Nanak AC
23.		44-Chabbewal(SC) AC
24.		84-Gidderbaha AC
25.		103-Barnala AC
26.	Rajasthan	27-Jhunjhunu AC
27.		67-Ramgarh AC

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No. & Name
28.		88-Dausa AC
29.		97-Deoli-Uniara AC
30.		110-Khinwsar AC
31.		156-Salumber(ST) AC
32.		161-Chorasi(ST) AC
33.	Sikkim	07-Soreng-Chakung AC
34.		11-Namchi-Singhithang AC
35.	Uttar Pradesh	16-Meerapur AC
36.		29-Kundarki AC
37.		56-Ghaziabad AC
38.		71-Khair(SC) AC
39.		110-Karhal AC
40.		213-Sishamau AC
41.		256-Phulpur AC
42.		277-Katehari AC
43.		397-Majhawan AC
44.	Uttarakhand	07-Kedarnath AC
45.	West Bengal	06-Sitai(SC) AC
46.		14-Madarihat(ST) AC
47.		104-Naihati AC
48.		121-Haroa AC
49.		236-Medinipur AC
50.		251-Taldangra AC